दिनांक 21.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

फेसबुक पर आत्महत्या संबंधी पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर पोस्ट अपलोड करने वाले युवक की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 20–05–2025 को जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा रात में आत्महत्या किए जाने सम्बन्धी पोस्ट फेसबुक पर किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 20–05–2025 को रात्रि 11:47 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ । जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री प्रशान्त कुमार** द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद संभल को अविलंब प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना चंदौसी, के उ0नि0 मात्र 11 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुँच गए, जहां पर उनके द्वारा परिजनों के सहयोग से अविलम्ब युवक को उल्टी कराकर घरेलु प्राथमिक उपचार कराया गया। युवक के स्वस्थ होने के उपरान्त जानकारी करने पर युवक द्वारा बताया गया कि वह मजदूरी करता है। करीब 03 साल पहले उसका अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात को लेकर ब्रेकअप हो गया था, जिस कारण वह परेशान था तथा अक्सर तनाव में रहता था, उसके द्वारा अवसाद की स्थिति में उक्त पोस्ट करके नींद की गोलियों को काफी मात्रा में खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया था। युवक की पुलिस द्वारा काउंसलिंग की गयी, जिस पर उसके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक

के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 15–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 926 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

———————

दिनांक 21.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद / थाना टीला मोड़

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित / खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20 / 21.05.2025 की रात्रि थाना टीला मोड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ऑक्सी होम सोसायटी के सामने भोपुरा की ओर जाने वाली सड़क के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–लुकमान सहित अभियुक्त 2–अरकम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित / खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त लुकमान थाना ट्रोनिका सिटी व थाना टीला मोड पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार लुकमान के विरूद्ध जनपद एटा, सम्भल, मुरादाबाद, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 08 अभियोग व गिरफ्तार अभियुक्त अरकम के विरूद्ध गुजरात, यूपी, दिल्ली प्रान्त में चोरी, गौकशी के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–लुकमान निवासी मोहल्ला नाला कस्बा संभल थाना कोतवाली संभल जनपद संभल हाल पता डिलाइट के पीछे दिल्ली।

2–अरकम निवासी मोहल्ला कुरैशियान खानजादा वाली गली हसनपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी 04 किलो चांदी**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गेट नं0–2 ट्रोनिका सिटी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आमिर 2–रितेश घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–दीपक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 04 किलो चांदी, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार

अभियुक्तों से बरामद चांदी लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक व रितेश के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर आधा–आधा दर्जन आपराधिक अभियोग व अभियुक्त आमिर के विरूद्ध 09 आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

2–रितेश निवासी मंगल बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

3–दीपक निवासी विकास रेलवे स्टेशन लोनी थाना लोनी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट की 04 किलो चांदी।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–03 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस।

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रामनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 01 करोड़ रूपये से अधिक कीमत के भारी मात्रा में सफेद–पीली धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 08 हजार 960 रूपये नगद**
- **अवैध शस्त्र आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2025 को थाना रामनगर, थाना भेलूपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोटोपुर नदी के किनारे बबूल की झाडी थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस कार्यवाही के दौरान 03 अभियुक्त 1–राकेश 2–विक्की 3–जितेन्द्र उर्फ गोलू घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4–शनि कुमार 5–अतुल 6–दिलीप उर्फ बंशी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

चोरी के लगभग 01 करोड़ रूपये से अधिक कीमत के भारी मात्रा में सफेद–पीली धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 08 हजार 960 रूपये नगद, अवैध शस्त्र आदि बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि 19.05.2025 को थाना भेलूपुर क्षेत्रान्तर्गत हुई अज्ञात चोरों द्वारा की गयी चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी अमवा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

2–विक्की निवासी अमवा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

3–जितेन्द्र उर्फ गोलू निवासी अमवा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ, बिहार।

4–शनि कुमार निवासी नारायनपुर दुबे थाना खामपार जनपद देवरिया।

5–अतुल निवासी फूलवा मऊ थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

6–दिलीप उर्फ बंशी निवासी भगवानपुर थाना लंका वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 01 करोड़ रूपये से अधिक कीमत के भारी मात्रा में सफेद–पीली धातु के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाख 08 हजार 960 रूपये नगद।

3–अवैध शस्त्र आदि।

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना संडीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेनीगंज मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास

किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहनूर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना संडीला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शहनूर निवासी मोहल्ला काशीराम कालोनी कस्बा व थाना संडीला हरदोई मूल पता कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना हर्रैया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.05.2025 को थाना हर्रैया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रोहित सहित अभियुक्त 2–आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रोहित थाना हर्रैया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित के विरूद्ध जनपद अयोध्या, बस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हर्रैया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोहित निवासी बडहरखुर्द थाना हर्रैया जनपद बस्ती।

2–आकाश निवासी कोतवालपुर अमोढा थाना छावनी जनपद बस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यू आगरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 चैन, 02 अंगूठी (पीली धातु)**
- **50 हजार 80 रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2025 की रात्रि थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दयालबाग रोड पर पोहिया घाट मार्ग पर चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 03 अभियुक्त 1–महेन्द्र 2–मनोज 3–हकीम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 चैन, 02 अंगूठी (पीली धातु), 50 हजार 80 रूपये नगद, 03

अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेन्द्र निवासी जोगीबाड़ा शाहगंज हाल निवासी मयूर बिहार दिल्ली।

2—मनोज निवासी चक्की वाली गली थाना शाहगंज।

3—हकीम निवासी भगत सिंह कॉलोनी फरीदाबाद।

बरामदगी

1—01 चैन, 02 अंगूठी (पीली धातु)।

2—50 हजार 80 रूपये नगद।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना चिल्ला

- **अवैध शस्त्र निर्मित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2025 को थाना चिल्ला व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सहूरपुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—जयसिंह 2—भजना उर्फ रामभजन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद हुये ।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयसिंह निवासी ग्राम चमराह थाना चिल्ला जनपद बांदा ।

2– भजना उर्फ रामभजन निवासी ग्राम सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा ।

बरामदगी

1–11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीति/खोखा कारतूस।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कांट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 50 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 कार**
- **01 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 21.05.2025 को थाना कांट पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ददरौल मोड के पास से अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 50 ग्राम अवैध अफीम, 01 कार, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कांट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी ग्राम इतिहापुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई ।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 50 ग्राम अवैध अफीम।

2–01 कार।

3–01 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को मुत्युदण्ड व 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना जहानाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376/201/120बी भादवि के अन्तर्गत **अभियुक्त अजय उर्फ शीलू को मुत्युदण्ड की सजा** व 81 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त छोटू उर्फ अवनीश एवं अभियुक्ता को धारा–201/120बी भादवि के अन्तर्गत 07 कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ/थाना राजेपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना राजेपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 149/302, 201 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्त 1–विनोद 2–शिवम 3–दिनेश 4–राजाराम को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रभू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 19 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोशन को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 19 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।